न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 22 / 2018

भागसिंह पुत्र जगन सिह जाति गुर्जर निवासी ग्रांम सूपा हाल निवासी भगवती कॉलोनी कस्वा बयाना जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–नरेन्द्र कुमार पुत्र मिश्रीलाल जाति वैश्य निवासी कस्बा बयाना पुलिस थाना बयाना
2–एस.एच.ओ.पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर

अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र बाबत ट्रांसफर किये जाने मुकदमा धारा 133, 145 जा. फो. उनवानी एस.एच.ओ. पुलिस थाना बयाना बनाम भागसिह वगे0 प्रकरण संख्या 16 / 2018 न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट बयाना ।

उपस्थितः–
श्री उदयवीर सिंह कसाना, अभिभाषक प्रार्थी
श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 9.4.2018

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी न.1 की शिकायत प्रार्थना पत्र पर पुलिस थाना बयाना द्वारा इकतरफा में जांच की जाकर मनमाने ढंग से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा धारा 133,145 जा.फौ का अपराध मानकर प्रार्थी व उसके पुत्र के विरुद्व जांच रिपोर्ट कब्जेराज में लिये जाने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट बयाना के समक्ष पेश कर दी गई है। उप जिला मजिस्ट्रेट बयाना ने जॉच रिपोर्ट को सही मानते हुये उक्त आराजी को कब्जेराज लेकर उस पर रिसीवर नियुक्त करने के लिये मौखिक रुप से कह दिया है। पीठासीन अधिकारी बयाना व अप्रार्थी संख्या 1 साज किये हुये हैं, उप जिला मजिस्ट्रेट बयाना व्यक्तिगत रुचि लेकर प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशी दी जा रही हैं। अप्रार्थी 1 ने दिनांक 20.2.18 को खुले आम धमकी दी है कि एस.डी.ओ. से साठ गांठ हो चुकी है आराजी पर रिसीवर नियुक्त करा दूँगा। पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी. की तलबी की गई। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बयाना से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बयाना से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी 1 ने एक झूठी शिकायत पुलिस थाना बयाना में दी गई। जिस पर पुलिस द्वारा बिना कोई जॉच किये इकतरफा में रिपोर्ट तैयार कर उपखण्ड मजिस्ट्रेट

.....2

बयाना के यहॉ पेश कर दी है। उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी की आराजी को कब्जे राज लेकर उस पर रिसीवर नियुक्त करने धमकी प्रार्थी को दी गई है। विवादित आराजी से अप्रार्थी–1 का कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थी ने दिनांक 20.2.2018 को प्रार्थी को धमकी दी है कि एसडीएम से बात चीत हो गई है, तुम्हारी आराजी को कब्जे लेकर रिसीवर नियुक्त करवा दूॅगा। एस.डी.एम. बयाना अप्रार्थी से मिले हुये हैं। प्रार्थी को उनसे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिल स्वीकार किया जाकर प्रकरण किसी अन्य दीगर न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। उन्होने बताया कि एस.एच.ओ. बयाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम बयाना द्वारा धारा 133, 145 सीपीसी के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित हो चुका है। तहत न्यायालय में प्रकरण प्रार्थी के जबाब में लगा हुआ है। उन्होने यह भी बताया कि प्रार्थी द्वारा गैर मुमकिन नाला जो सिंचाई विभाग के नाम है पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जिसके तहत यह कार्यवाही की गई है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। एसडीएम बयाना से प्राप्त टिप्पणी पर गोर किया गया। प्रार्थी ने मौखिक आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकारान को तलब किया गया है तथा प्रकरण जबाब में लगा हुआ है। प्रार्थी द्वारा तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को देरीना करने की मंशा से मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी नदबई को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 9.4.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर